Seventeenth Loksabha

>

Title: Alleged threatening to a Women Minister in the House.

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति महोदया, जब स्मृति ईरानी जी बोल रही थीं, उस समय श्री टी.एन. प्रथापन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने दुर्व्यवहार किया है, जो निंदात्मक है । This is most condemnable. महिला संसद सदस्य के सामने थ्रेटनिंग पोजीशन में आना, यह बिलकुल गलत है । She was talking as a lady Member of this House, and at that time, everybody had expressed their opinions. मेरा एक्सप्रेशन करने का स्टाइल अलग है और अधीर रंजन जी का अलग है । But if you become aggressive, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है । It is most uncalled for. मैं अधीर रंजन जी से आग्रह करता हूं कि उन दोनों माननीय सदस्यों को बुलाइए और माफी मंगवाइए । They should ask for the apology unconditionally. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The fact is that at that time, I was not inside the House. मैं किसी काम से बाहर गया था । जहां तक स्मृति ईरानी जी का सवाल है, तो Smriti Irani Ji is very fond of all of us. उनके प्रति हम सभी का रिगार्ड है । वह डिगनिफाइड लेडी हैं । वह बड़े काम्पिटेंट मिनिस्टर हैं । आज से नहीं, बल्कि बहुत दिनों से उन्होंने कई पद संभाले हैं । मुझे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है । जिनके बारे में कहा गया है, मैं उनसे बातचीत करके मामले को देखूंगा । अभी मैं इस विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं । … (व्यवधान) मुझे कोई जानकारी नहीं है ।…(व्यवधान) मैं जो कह रहा हूं, वह बिल्कुल सही कह रहा हूं । मैं उस वक्त नहीं था ।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): उनको बुलाना पड़ेगा ।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं पता करके बताता हूं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : संगीता जी, आप क्या कह रही हैं?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): आप उनको बुलाइए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं बात करती हूं ।

…(व्यवधान)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): This is the temple of democracy and it is a black day for parliamentary democracy if the lady Minister is being threatened by an Opposition MP in the Lok Sabha on the floor of the House. It is not necessary; everybody has their way of expressing themselves. She did not say anything derogatory; she did not say anything inflammatory. But it is unacceptable, we are witness to it. If a Member of Parliament talking about protecting women outside the House is ready to perpetrate a crime and …(*Interruptions*). No, this is not right. …(*Interruptions*). He pulled up his sleeves and he came forward. We are all witness to this. … (*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ji, I have a suggestion.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप सभी बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We will re-constitute at around 2.30 PM. You go and have a brief. You talk to those people and then we will re-constitute at 2.30 PM.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Please listen to me, Madam. As we know, our hon. Speaker is the ultimate arbiter. …(*Interruptions*). I am leaving the entire episode …(*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : You can see the video. आप वीडियो देख लीजिए, फिर बात करें ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ji, you have explained yourself. We are not holding anything against you. I am giving you time for one hour.

सभा की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.38 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

-

14.32 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty-Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON: The Minister of Parliamentary Affairs.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Madam, as it has already been raised when you were chairing, before we could re-assemble, we had made a specific request, through you, that their behaviour was highly condemnable; and they should apologise. I feel that deliberately, they have not reached the House. All the Members especially, lady Members of this House are very much agitated.

I appeal to you that either they should be summoned and they should be directed to tender their apology, or else, they should be suspended from the

House. This is my firm demand.

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): माननीय सभापति महोदया, आज सुबह से इस हाउस में बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है । जब हम यहाँ पर इकट्ठे होकर महिलाओं की रक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनको कैसे सम्मान दें, उसकी बात कर रहे हैं, इस समय मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ I respect all the political parties here. So, I just want to say that a few of our fellow Members created disturbances. I cannot exactly say; आपके पास सीसीटीवी कैमराज हैं, उसका फुटेज होगा, and have all rights to check.

यहाँ पर जो डिसटर्बेंस क्रिएट हुआ, हाउस के अंदर जिस तरह का हम अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, वह भी महिला सांसदों के प्रति, यहाँ आज जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि उस पर हर महिला सांसद को बोलने का हक है । कोई एक या दो महिला सांसद ही क्यों, हर महिला सांसद को बोलने का हक है ।

जैसा कि अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि specially, women Members of Parliament are agitated. No, Mr. Minister, Sir. Even men, the male Members of Parliament are also agitated. We do not expect such kind of behaviour from real men. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रिकार्ड्स चेक करें और रिकार्ड्स के अनुसार आपको जो भी दिखे, you have every right to take action; and we all support you, Madam. Thank you so much.

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): सभापति जी, सदन में कुछ और विषय पर निंदा का मामला चल रहा था । हम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कैसे करेंगे, हम अपनी राखी की कीमत कैसे अदा करें, जब, जो महिला हमें राखी बांधती हो, हम उसकी रक्षा न कर सकते हों? जब एक महिला अपने अधिकारों की मांग करते हुए अपना रोष इस सदन में जाहिर कर रही है, तो उस पर हाथ और बांह चढ़ाकर मारने की धमकी देने वाले लोगों को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए । अभी जब वे उपस्थित नहीं हैं तो उनके दल के जो नेता हैं, उनको करबद्ध सदन से माफी मांगनी चाहिए । …(व्यवधान) पहले वह माफी मांगें, फिर उनके दल के जो सदस्य हैं, वे माफी मांगें …(व्यवधान) अन्यथा ऐसे सदस्यों को …(व्यवधान) सदन में उनके दल के नेता कह रहे हैं कि वे नहीं हैं । हम उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि आज शुक्रवार है और वे चले गए होंगे । अगर वे चल गए हैं तो उनको सोमवार को माफी मांगनी होगी । अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो व्यवस्था का

सवाल है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए । ऐसी अभद्रता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अन्यथा हम चाहे कितने कानून बदल लें, चाहे रूल बुक में कितना भी परिवर्तन कर लें, किन्तु हमारी माताओं-बहनों की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो यह बर्दाश्त से बाहर है ।

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): सभापति महोदय, यह घटना दूसरी बार उन्हीं सदस्यों के द्वारा हो रही है, जिन्होंने मार्शल के साथ भी हाथापाई करने का प्रयास इस सदन में किया था । इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था यह सदन दे । अगर लगातार इस प्रकार से महिलाओं पर आक्रमण करेंगे और एक गुंडई जैसा बर्ताव सदन में करेंगे, जिसको पूरा देश देख रहा है । आज यह सब जो वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत निंदनीय है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सदन को करनी चाहिए ।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): सभापति महोदया, हमारी भारतीय संस्कृति में जिस गांव में, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता है और यह तो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और इस लोकतंत्र के मंदिर में हम देश और समाज के लिए कानून बनाते हैं कि हम कैसे अपने समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने ऐसी घृणित घटना की है, उनको इस सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए । पिछली बार भी उन्होंने मार्शल के साथ इसी तरह का व्यवहार किया था । मेरा आपसे अनुरोध है और मैं समझता हूं कि हम सब सदन मैं बैठकर जब महिलाओं की चिंता करते हैं तो इस सब में भी हम सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी को महिलाओं के सम्मान के प्रति उनको बाध्य करना चाहिए कि वे सदन में आकर माफी मांगें और पुन: ऐसी हरकत न हो ।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदया, आज इस सदन में जो घटनाक्रम हुआ है, एक तरफ तो सब लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि लोग जमानत पर छूटकर महिला को जला रहे हैं । दूसरी तरफ जो सदन पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखता है, जो पूरे देश के लिए नियम-कानून बनाता है, उस सदन के अंदर जब हमारी एक सम्मानित मंत्री खड़ी होकर स्टेटमेंट दे रही है, उस समय जो परिस्थितियां यहां हुईं, उसके बावजूद भी जब बार-बार उनको कहा जा रहा था और उनको पकड़कर पीछे ले जाना पड़ा । बाजू चढ़ाकर और आगे आकर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, हमारी संस्कृति में "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता:" की बात हो रही है । यहां पूजा की बात तो दूर रही, यहां

सरेआम अपमानित करने की बात है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घिनौनी हरकतें यदि इसी सदन में होंगी तो हम दुनिया और देश के लोगों को क्या मेसेज देंगे? मैं समझता हूं कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए । एक अनुशासत्मक कार्रवाई हो जिससे सब मेम्बर्स में एक मेसेज जाए और देश में मेसेज जाए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना न कर पाए ।

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): सभापति महोदया, हम मां-बहनों की पूजा करते हैं । नवरात्रि में हम हमारी बेटियों-बच्चियों को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं । आज माहौल यह है कि हमारी देवियां देश में सुरक्षित नहीं हैं । देश में सुरक्षित नहीं हैं और हम जब सदन में चर्चा कर रहे हैं तो सदन में भी सुरक्षित नहीं हैं । हमारी सदस्या और मंत्री जी के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है तो हम पूरे देश और दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? महोदया, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में जो भी संबंधित सदस्य हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदया, आज सदन में जिस तरह की घटना घटी है, कुछ सदस्यों की बार-बार यह करने की प्रवृत्ति है । पिछली बार भी मार्शल के साथ में हाथापाई करने की नौबत आई थी, तब उनकी पार्टी या दल के नेताओं ने उनको नहीं समझाया होगा, जिसके कारण आज एक बार फिर जहां हम एक महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अगर उस वक्त कोई व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करने का व्यवहार करता है, तो उनके दल के नेता को यह सोचना चाहिए और उनको यहां पर अच्छी सीख देनी चाहिए कि यह सदन है, यह लोकशाही का मंदिर है, यहां पर बिहेव करने की एक मर्यादा होती है । आप हर बार एग्रेसिव होकर किसी भी सदस्य के खिलाफ नारेबाजी करें, तब तक वह आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन जब एक महिला बोल रही है, तब इस तरह का काम करना, यह बिल्कुल अभद्रतापूर्ण है । इनको ही माफी मांगनी चाहिए, उन सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए । उनके दल के नेता ने कैसे आज उनको बिना माफी मांगे जाने दिया । शायद यह उनकी संस्कृति और संस्कार है कि उन्होंने इस तरह के सदस्यों को जाने दिया, उनको भगा दिया । इस तरह की संस्कृति और संस्कार उनके दल की होगी । आज यह बहुत गलत हुआ है ।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदया, यहां पर देश की महिलाओं की समस्या के ऊपर माननीय मंत्री जी जवाब दे रही थीं । उस समय इस प्रकार का कृत्य करना, आज पूरा देश देख रहा था, जिन महिलाओं की रक्षा के लिए यहां कानून बनते हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए भक्षक बनकर यहां पर कांग्रेस के सम्मानित सदस्य आते हैं और इस प्रकार का कृत्य करते हैं । आज हमारी छोटी बहनें ऊपर से देख रही हैं कि यह वही सदन है, जो कानून बनाता है और यह वही सदन है, जहां इस प्रकार से माताओं-बहनों की इज्ज़त पर बात आती है । मेरा यह कहना है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा । उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट) : महोदया, मैं आज बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूं कि यहां पर जिस तरह का कृत्य हो रहा है, हम सदन के बाहर अपनी बेटियों और बहुओं को बचाने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । लेकिन जब हम इस सदन में कृत्य देखते हैं कि हमारी महिला मंत्री जी, जो सम्मानीय हैं, सीनियर हैं, उनके साथ उन्होंने यहां पर जिस तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है, अपनी बांह चढ़ाकर, वे अपनी पीछे की सीट छोड़कर सामने तक आ गए, तो वे क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या इस भरे सदन के अंदर वे हमारी महिला मंत्री से मारपीट करना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा उनका आचरण है । जब हम फार्म भरते हैं, तब हम यह देखते हैं कि क्या गुंडा या अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति इस सदन के अंदर तो प्रवेश नहीं कर रहा है । इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इनकी किस तरह की प्रकृति है या इनका क्या है ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं होगा । उनकी पूरी जांच करके उनको इस सदन से निलंबित किया जाए, ताकि एक नज़ीर बन सके कि किसी भी सांसद को यह हक नहीं है कि वह सदन के अंदर किसी भी महिला को अपमानित करें । यदि वह सदन के अंदर अपमानित कर सकते हैं, तो पता नहीं, वे बाहर क्या करते होंगे । इसलिए, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इनकी बाहर भी पूरी जांच की जानी चाहिए ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : माननीय सभापति महोदया, आज प्रत्येक आदमी दुखी मन से बोल रहा है । पूरे देश का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है । हम लोग चिंतित हैं । हम लोग यह सोचते हैं कि जिस मजबूती से हम संसद में काम करने आए हैं और महिलाओं के विषय में ज्यादा सोच रखते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो भी सांसद यहां पर आए हैं, मैं यह समझती हूं कि उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि कहां पर क्या बोला जाए और कैसे रहना चाहिए । इन लोगों की समझदारी में कमी है । केवल माफी मांग लेना उचित नहीं है । उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी यह देश देखेगा कि ऐसे ही सांसद बाहर जाकर

यह अनर्थ करते हैं, कुकर्म करते हैं । इन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए । यह सिर्फ मेरी सोच नहीं है । यह सोच पूरे पुरुष वर्ग से लेकर महिला वर्ग की है । पुरुषों को भी घरों में जवाब देना पड़ेगा । उनकी पत्नी पूछेगी, उनकी बेटी पूछेगी कि आप लोग सांसद बनकर गए हैं और आपने क्या देखा है कि एक महिला मंत्री के साथ जो हो रहा है, आप लोगों ने उसको क्यों दंडित नहीं किया है । तब वे जवाब देने में नाकाम हो जाएंगे । इसीलिए, मैं यह चाहती हूं कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, वह मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई दूसरा ऐसी गलती करके माफी न मांग ले । ऐसा नहीं होना चाहिए ।

gfv

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, वह भी उस दिन, जिस दिन हम उन्नाव या हैदराबाद की घटना की बात कर रहे हैं और पूरा देश चिंतित है । मैडम, मैं पंजाब से आता हूँ । पंजाबी दूसरों की मां-बेटियों को बचाने के लिए जाने जाते थे । आज हम अपनी माँ-बेटियों, अपनी माँ-बहनों के लिए जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यह अति निंदनीय है । यह लोकतंत्र का मंदिर है । यहां कानून बनते हैं । अगर लॉ मेकर्स लॉ तोड़ेंगे तो फिर किससे उम्मीद की जा सकती है?

मैडम, मैं आखिर में राहत इंदौरी का शेर बोलूंगा कि –

"कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है ।
आदमी को बुरी लत बिगाड़ देती है ।
जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते हैं,
सजा न दे कर अदालत बिगाड़ देती है ।"

अगर कांग्रेस ने उस दिन सजा दी होती, जिस दिन मार्शल जी के साथ ऐसा हुआ था, शायद आज वे यह हिम्मत न करते । …(व्यवधान) मैं इस घटना की जोरदार शब्दों में निंदा करता हूँ । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : एक मिनट रुकिए । अधीर जी को सुन लें ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बोलने दीजिए कम से कम । …(व्यवधान) यह तो आप लोगों का प्लान के जरिए होता है । …(व्यवधान) आपका क्या प्लान है, यह देखने से पता चलता है ।

माननीय सभापति: अधीर जी, आपको एक घंटे का मौका दिया था, वे लोग उपस्थित नहीं हुए हैं ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरी बात सुनिए ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: वे लोग उपस्थित नहीं हुए ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: उनको हॉल में लाने का, सदन में लाने का एक घंटे का मौका दिया था ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह छोटी सी बात है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: एक मिनट रुकिए ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बोलने तो दीजिए । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: एक मिनट, मुझे तो बोलने दीजिए न?

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

14.46 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, December 9, 2019/ Agrahayana 18, 1941 (Saka)

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.